राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मंडावर जिला दौसा (राज.)

प्रकरण संख्या – 17/2023(विविध) पीठासीन अधिकारी – नीतू करोल (आर.ए.एस.)

उनवान

सुरेशचन्द दत्तक जुहारया जाति मीना आयु 60 वर्ष निवासी हल्दैना तहसील मंडावर जिला दौसा राज.

---------(प्रार्थी)

बनाम

1 कंवर पाल पुत्र किशन आयु 50 वर्ष
2 विजय पुत्र राधा किशन आयु 48 वर्ष
3 विसराम पुत्र राधा किशन आयु 45 वर्ष
} जाति मीना निवासी हल्दैना तहसील मंडावर जिला दौसा
4 श्रीमान तसीलदार साहब मंडावर तहसील मण्डावर जिलाा दौसा राज.

--------(अप्राथीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा, 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

उपस्थित 1. श्री जितेन्द्रसिंह गुर्जर एडवोकेट–प्रार्थी

2. श्री खेमसिंह गुर्जर एडवोकेट–अप्रार्थीगण

3. नायब तहसीलदार मंडावर– सरकार पैरोकार

निर्णय

दिनांक –17.10..2023

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि स्थित वाके ग्राम हल्दैना तहसील मंडावर के आराजी खसरा नम्बरान 327 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बरान 368 रकबा 0.63 हैक्टेयर, खसरा नम्बरान 929 रकबा 0.0.48 हैक्टेयर, एवं खसरा नम्बरान 930 रकबा 0.24 हैक्टेयर,कुल किता 4 कुल रकबा 1.51 हैक्टेयर है। जिसमे प्रार्थी का कब्जा काश्त मौजूद हैं। प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर अपने पूर्वजों के समय कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी को अपने उपभोग उपभोग में लेता चला आ रहा है। प्रार्थी के अलावा किसी भी अन्य पक्षकार की साझेदारी व भागीदारी नहीं है। उक्त भूमि प्रार्थी के नाम मौजूद जमाबंदी में इन्द्राज है। प्रार्थी के आवेदन पर तहसीलदार मंडावर के आदेश से दिनांक 30.05.2023 को उक्त भूमि का सीमाज्ञान कर निशानात लगाये गये। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना

चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर श्रीमान तहसीलदार मंडावर को खातेदारी भूमि की पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढ़ी करने के आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 की और से अभिभाषक श्री खेमसिंह गुर्जर ने वकालत पेश किया। अप्रार्थी संख्या 3 बावजूद सम्मन तामील ना तो स्वयं हाजिर आये न ही उनका कोई विधिक प्रतिनिधि न्यायालय हाजिर आया।। तत्पश्चात उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 के द्वारा बार–बार अवसर देने के उपरान्त भी जवाब नही देने के कारण उनका जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया। तहसीलदार मंडावर से मौका व रिकॉर्ड की रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया की उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान दिनांक 30.05.2023 को मौके पर उपस्थित व्यक्तियों की मौजूदगी में सीमाज्ञान करवाकर निशानात लगाये गये एवं सीमाज्ञान में लगाये गये निशानात् के आधार पर पत्थरग गढी किये जाने की अभिंषशा की गई। प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुना गया। बहस प्रार्थना पत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर वाके वाके ग्राम हल्दैना पटवार मंडल हल्दैना भू.अ.निरीक्षक हल्दैना तहसील मंडावर में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 256 के आराजी खसरा नम्बरान 327 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बरान 368 रकबा 0.63 हैक्टेयर,, खसरा नम्बरान 929 रकबा 0.48 हैक्टेयर, एवं खसरा नम्बरान 930 रकबा 0.24 हैक्टेयर,कुल किता 4 कुल रकबा 1.51 हैक्टेय भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान तहसीलदार मंडावर के सीमाज्ञान अनुसार की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक हल्दैना को 1500/– फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी खातेदारों को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार मंडावर को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.10..2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीतू करोल)
उपखण्ड अधिकारी,
मंडावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)